न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 63/2019

प्रार्थीगण

1– प्रवीण कमार पुत्र चुनारामजी
2– भंवरलाल पुत्र श्री दानारामजी
आयु व्यस्क जाति मेघवाल
पेशा खेती निवासी तेलपुर
तहसील पिण्डवाडा जि.सिरोही
3– भोमाराम पुत्र श्री रतारामजी
जाति मेघवाल पेशा खेती निवासी
नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1– परीक्षित महीन्द्रा पुत्र श्री विजयदत्तजी
महीन्द्रा आयु व्यस्क जाति सुद पंजाबी
निवासी 9 टी.टी.ई कॉलोनी आबूरोड
जिला सिरोही
2– स्वप्रील महीन्द्रा पुत्र श्री विजयदत्तजी
महीन्द्रा आयु व्यस्क जाति सुद पंजाबी
निवासी 9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड
3–श्रीमति रजनीश महीन्द्रा पत्नि विजयदत्त
महीन्द्रा आयु व्यस्क जाति सुद पंजाबी
निवासी 9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड
जिला सिरोही राज.
4– शिल्पी महीन्द्रा पुत्री श्री विजयदत्ती
महीन्द्रा आयु व्यस्क जाति सुद पंजाबी
निवासी 9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड
जिला सिरोही राज.
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरोही राज.

उपस्थित :–
1– श्री. ऋषि माथुर वकील प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार (ना.तह.कालन्द्री)

रा.प्रा.अ.धारा 251(क) की उपधारा (1)राज.अभिधृति अधिनियम 1955 के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 3–1–2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क)की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तक के विरूद्व वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 9–9–2019 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे खाता संख्या 191 खसरा नंबर 597 रकबा 00.4800 हैक्टेयर व खसरा नंबर 598 रकबा 00.0100 हैक्टेयर आई हुई है। वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण पिछले कई वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण के लिये उसके खातेदारी की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु राजस्व रेकर्ड मे कोई रेकर्डेड रास्ता अंकित नही है जिससे प्रार्थीगण उनके खातेदारी की कृषि भूमि मे खसरा संख्या 955/599 की भूमि मेसे गुजरने वाले कदीमी रास्ते से (संलग्न नक्शे मे वर्णित "ए"से बी"' रास्ते से) पिछले कई वर्षो से पूर्व के खातेदार मदनजी चुनाजी हिरागर के जरिये आते जाते रहे है और उक्त "ए" से "बी" रास्ते का उपभोग भी कई वर्षो से करते आ रहे है और प्रार्थीगण से पहले उक्त "ए" से "बी" कदीमी रास्ते का उपभोग एवं

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

आवागमन पूर्व के खातेदार मदनजी चुनाजी हीरागर करते रहे है उक्त "ए" से "बी" कदीमी रास्ता आगे मुख्य रास्ते से मिल जाता है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे उक्त "ए" से "बी" भाग,रास्ते के रूपम` अंकित नही होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आने जाने मवेशी,ट्रेक्टर,बैलगाडी लाने ले जाने हेतु कई बार समस्याओं का सामना करना पडता है,प्रार्थीगण मध्यम वर्ग के काश्तकार व्यक्ति है जिसके पुरे परिवार का भ्रण पोषण उक्त कृषि भूमि की आय से होता है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु रास्ते की शक्त आवश्यकता है। अप्रार्थीगण कई बार प्रार्थीगण को उसकी आराजी मे आने जाने मे रूकावट पैदा करते है राजस्व नक्शा ट्रेस मे आवागमन हेतु रास्ता अंकित नही होने से प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने और काश्त मे भाई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण कई बार अपनी आराजी पर नहीं पहुॅच पाता है जिससे उनकी फसले जल जाती है और पशुओं को भी कई बार पानी चारे के अभाव मे राते गुजारनी पडती है इसी कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। अतः प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपने खातेदारी और कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित खसरा संख्या 955/599 की कृषि भूमि मे दर्शाये संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार मार्क "ए"से "बी" हिस्से मे 25 फीट चौडा और मौके अनुसार लम्बे रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे रास्ता अंकित किये जाने के आदेश करना फरमावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्व दस्तावेजात प्रतियों मे खाता संख्या 191 खसरा संख्या 597,598 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खसरा संख्या 955/599 की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 तथा नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियो का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 9–9–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 तक को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये । विचारण प्रार्थनापत्र की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 9–10–2019 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 तक के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । दिनांक 9–10–2019 को न्यायालय मे विचारण प्रकरण की दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक को नोटिस तामिल होने के बावजूद हाजिर नही है। जिस पर न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक को हाजिर होने हेतु बार बार आवाजे लगवाने के बावजूद स्वंय या इनके प्रतिनिधि वकील कोई भी न्यायालय समय तक हाजिर नही होने से न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश दिये गये । पत्रावली वास्ते अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही के जवाब हेतु दिनांक 23–10–2019 को न्यायालय मे रखी गई । अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दिया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 30–12–2019 को अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक 1036 दिनांक 27–12–2019 के द्वारा जवाब मय नक्शा किश्तवार व मौजा राजपुरा (बाल्दा) तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता नंबर 191 खसरा नंबर 597 क्षैत्रफल 0.4800 हेक्टेयर बारानी । व खसरा नंबर 598 क्षैत्रफल 0.01 खातेदार 1– प्रवीणकुमार

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

पुत्र चुनाराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा.तेलपुर तहसील पिण्डवाडा खातेदार 2– भंवरलाल पुत्र दानाराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा.तेलपुर तहसील पिण्डवाडा खातेदार 3– भोमाराम पुत्र रताराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा. नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा खातेदार ,मौजा राजपुरा (बाल्दा) तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 323 खसरा नंबर 955/599 क्षैत्रफल 0.2240 हेक्टेयर बारानी 1 काश्तकार 1– परीक्षित महिन्द्रा पुत्र विजयदत्त महीन्द्रा हिस्सा 1/8 जाति सूद पंजाबी नि.9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही खातेदार 2– रजनीश महीन्द्रा पत्नि विजयदत्त महिन्द्रा हिस्सा 5/8 जाति सूद पंजाबी नि.9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही खातेदार 3– शिल्पी महीन्द्रा पुत्री विजयदत्त महीन्द्रा हिस्सा 1/8 जाति सूद पंजाबी नि.9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही खातेदार 4– स्वप्रील महीन्द्रा पुत्र विजयदत्त महीन्द्रा हिस्सा 1/8 जाति सूद पंजाबी नि.9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही खातेदार , मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या नया 336 खसरा नंबर 954/599 क्षैत्रफल 0.0560 किस्म सडक की प्रतियॉ पेश की है। जिसे शामिल मिसल किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे यह कथन किया कि ग्राम राजपुरा (बाल्दा) की जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 191 रकबा 597,598 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है। जमाबंदी की नकल संलग्न है। उक्त भूमी प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि है जो सही है। ग्राम राजपुरा (बाल्दा) के राजस्व नक्शे अनुसार प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 597 व 598 मे मुख्य मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग) से आवागमन हेतु वर्तमान मे कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही हे। प्रार्थी की खातेदारी व मुख्य मार्ग के मध्य खसरा नंबर 955/599 रकबा 0.2240 हेक्टेयर किस्म बारानी I भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण खसरा नंबर 955/599 मेसे आवागमन हेतु रास्ता चाहते है। प्रार्थी के आवागमन हेतु खसरा संख्या 955/599 मे से लघुतम दूरी होने से व अन्य कहीं से वैकल्पिक मार्ग नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 955/599 मेसे 28 मीटर लंबाई एवं 7.50 मीटर चौडाई कुल 210 वर्गमीटर (0.0210 हेक्टेयर) भूमि (संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से प्रदर्शित अनुसार) रास्ता उपलब्ध करवाया जा सकता है।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण की सुनवाई पेशी दिनांक 31–12–2019 को इस न्यायालय द्वारा विचारण प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक के विरूद्व दिनांक 9–10–2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाने के आदेश पूर्व मे ही दिये जाने के फलस्वरूप वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने न्यायालय मे हाजिर होकर विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट पर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचारण प्रकरण प्रार्थनापत्र अ0धा0 251(क) आर.टी.एक्ट पर वकील प्राथी तथा एवं अप्रार्थी संख्या 4 स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया। विचारण प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब स्टेट तहसीलदार सिरोही व संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व संलग्न नक्शा ट्रेस किश्तवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

उपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा पूर्व मे दिये जा चुके है। यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी ग्राम राजपुरा (बाल्दा) के खसरा संख्या 597,598 कुल रकबा 0.4900 हेक्टेयर में आने जाने के लिये वैकल्पिक मार्ग नही है। इस कारण नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहूचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है।अतः प्रार्थी को खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी ट्रेक्टर,बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से एवं अन्य वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता सिद्व नही होने से तहसीलदार,सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 5 स्टेट तहसीलदार सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सिरोही प्रार्थीगण के आवागमन हेतु खसरा संख्या 955/599 मेसे लघुतम दूरी होने से व अन्य कहीं से वैकल्पिक मार्ग नही होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 955/599 मेसे 28 मीटर लंबाई एवं 7.50 मीटर चौडाई कुल 210 वर्गमीटर (0.0210 हेक्टेयर) भूमि (संलग्न नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से प्रदर्शित अनुसार) रास्ता के रूप काम आयेगी ।

इस सम्बन्ध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत धारा 251 व 251(क) के तहत राजस्थान सरकार के श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प03(52) राज–6/4 दिनांक 14–6–2013 बाबत् राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के संबंध मे दिये गये प्रावधानों अनुसार उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार सिरोही को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त रास्ता की भूमि की नियमानुसार कीमत अवधारित कर कीमत की राशि तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये उक्त भूमि,मौजा राजपुरा (बाल्दा) तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 323 खसरा नंबर 955/599 क्षैत्रफल 0.2240 हेक्टेयर बारानी 1 काश्तकार 1– परीक्षित महिन्द्रा पुत्र विजयदत्त महीन्द्रा हिस्सा 1/8 खातेदार 2– रजनीश महीन्द्रा पत्नि विजयदत्त महिन्द्रा हिस्सा 5/8 खातेदार 3– शिल्पी महीन्द्रा पुत्री विजयदत्त महीन्द्रा हिस्सा 1/8 खातेदार 4– स्वप्रील महीन्द्रा पुत्र विजयदत्त महीन्द्रा हिस्सा 1/8 सभी जातियान सूद पंजाबी निवासीयान .9 टी.टी.ई. कॉलोनी आबूरोड जिला सिरोही खातेदार ,अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)

करने पर भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही) को राजस्व रेकर्ड व नक्शा मे अमल दरामद रास्ते की भूमि कम कर राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 3–1–2020 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 3–1–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.01.07 16:56:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: